

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अवमानना प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-भोपाल

वि.सं. - 9046-PBR-16

दिवाकर दीक्षित (पु. 721)
वसु सं. 6-4-16 को
बहुदुर
6-4-16

1. श्रीमती कृष्णादेवी स्व. श्री रतनलाल
2. सुदर्शन शर्मा पुत्र स्व.श्री रतनलाल
3. अरविन्द शर्मा पुत्र स्व.श्री रतनलाल
निवासीगण ग्राम भौरी, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म0प्र0)

-- आवेदकगण

विरुद्ध

1. श्रीमती आशादेवी पत्नी श्री सतीश शर्मा
पुत्री स्व. श्री जमुना प्रसाद, निवासी मकान
नं.8, सुरेन्द्र मेडीकल के सामने, सुठालिया,
तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, (म0प्र0)
2. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, माया
अवस्थी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल
(म0प्र0)

-- अनावेदकगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 12 (2) अवमानना अधिनियम बावत प्रकरण क्र.11-पी.बी.
आर/2015 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 12.9.2016 के उल्लंघन बावत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-


1. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 11-
पी.बी.आर/2015 अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला
भोपाल के प्रकरण क्रमांक 26/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.12.
2014 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9046-पीबीआर/2016

जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.6.16	<p>आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने से नॉटप्रेस किये जाने का अनुरोध किया गया। अनावेदक शासन की ओर से श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, पेनल लॉयर उपस्थित। आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>

Handwritten initials in blue ink.